

प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालौर

अपीलेंट	बनाम	रेस्पॉन्डेंट
मुकेश पुत्र हराराम, तिहाड़ बेल संख्या 8/9 नई दिल्ली 110064	उपखंड अधिकारी वित्तलवाना	
प्रकरण अपील	१८ / 2018	
कम्प्यूटर आई.डी.		2018/00122

अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

20.11.2018

रेस्पॉन्डेंट अग्रपंक्तिगत। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)

वित्तलवाना का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) वित्तलवाना ने जवाब में व्यक्त

किया कि अपीलेंट द्वारा अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना उपखंड मुख्यालय वित्तलवाना एवं

तहसील वित्तलवाना के तब सूजन से पूर्व की होने के कारण इसका रिकार्ड उक्त

दोनों कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण तहसीलदार सांचार की पत्रिका/1993

दिनांक 15.11.2018 के द्वारा लिखा गया तथा शेष सूचना जारी पत्रिका/1996 दिनांक

15.11.2018 के द्वारा डक से भिजवा दी गई है।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) वित्तलवाना के जवाब पर

मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलेंट द्वारा आवेदित सूचना

अपीलेंट की अपूर्ण व देरी से उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में राज्य लोक सूचना

अधिकारी (उपखंड अधिकारी) वित्तलवाना को निर्देशित किया जाता है अपीलेंट द्वारा

आवेदित शेष सूचना संबंधित से प्राप्त की जाकर 20 दिन की समयवाधि में अपीलेंट

को निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलेंट की अपील आंशिक स्वीकार

की जाती है। अपीलेंट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय

से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोगा जयपुर

के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(जिला कलेक्टर)

जालौर